<u>दिनांक-19.02.2026</u>

पत्रावली पेश हुई।

पुकार करायी गयी।

पुकार पर पुकार पर उभय पक्ष उपस्थित।

अपीलार्थी की ओर से कागज सं०-C-32 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांकित-04.02.2026 की सत्य प्रतिलिपि कागज सं०-C-32/2 ता C-32/5 जो Matters Under Article 227 of 2026- श्री राधा कृष्ण जी महराज विराजमान मन्दिर द्वारा सरवरकर जयेन्द्र बिक्रम सिंह एवं 7 अन्य बनाम श्री यादवेनद्र बिक्रम सिंह एवं 3 अन्य में पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का ससम्मान अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित-04.02.2026 में यह आदेश पारित किये गये है कि-

> "5.Accordingly, the present petition is disposed off by issuing a direction of the learned Additional District Judge First, Bahraich to decide MCA No.32/2024 titled Sri Radha Kishan Ji Maharaj & Ors. v. Yadvendra Bikram Singh & Ors., expeditiously, in accordance with law without granting any unnecessary adjournment to any of the parties and by fixing dates at short intervals."

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के द्वारा इस न्यायालय को उक्त अपील (MCA No.32/2004) को शीघ्र निस्तारित किये जाने हेतु आदेशित किया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मामले मे छोटी तिथियाँ नियत करने हेतु भी आदेशित किया गया है। उभय पक्ष से अपेक्षा की जाती है कि, वें सुनवाई में सहयोग प्रदान करें। ऐसे में पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक-23.02.2026 को पेश हो।

प्रथम अपर जिला जज,

बहराइच।